रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2007/माघ 26, 1928
No. 168] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2007/MAGHA 26, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2007

का.आ. 233(अ).—राष्ट्रपति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भान को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करते हैं ।

[फा. सं. ए-60011/16/2002-प्रशा.-III (वि.का.)]

के. डी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2007

S.O. 233(E).—In exercise of the powers conferred under clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the President is pleased to nominate Mr. Justice Ashok Bhan, Judge, Supreme Court of India as Executive Chairman, National Legal Services Authority with immediate effect.

[F. No. A-60011/16/2002-Admn. III (LA)]

K. D. SINGH, Addl. Secy.

515 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.